भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3322

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

भवन उपनियमों और भूमि उपयोग (लैंड यूज़) का उल्लंघन

3322. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) निगरानी समिति के निर्देशों के अनुसार भवन उपनियमों और भूमि उपयोग (लैंड यूज़) के उल्लंघन के संबंध में दिल्ली में सील की गई दुकानों की कुल संख्या का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त दुकानों की सील खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) स्थानीय निकायों अर्थात दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भवन उप-नियमों और भूमि उपयोग के उल्लंघन के लिए दिल्ली में सील की गई दुकानों की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**क्षेत्र का नाम**		**सील की गई संपत्तियों/इकाइयों/दुकानों की संख्या**
1.	**दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)**	रोहिणी क्षेत्र	460
2.		नरेला क्षेत्र	15
3.		केशव पुरम क्षेत्र	164
4.		सिविल लाइन क्षेत्र	332
5.		शहर – एसपी क्षेत्र	215

6.		करोल बाग क्षेत्र	1054
7.		पश्चिम क्षेत्र	119
8.		नजफगढ़ क्षेत्र	309
9.		दक्षिण क्षेत्र	658
10.		मध्य क्षेत्र	677
11।		शाहदरा (दक्षिण) क्षेत्र	665
12.		शाहदरा (उत्तर) क्षेत्र	274
13.	**नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)**	एनडीएमसी क्षेत्र	161
14.	**दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)**	संजय नगर मार्केट, मंगोलपुर कलां, दिल्ली	145
15.		कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन	10
कुल			**5258**

(ख) और (ग) संबंधित स्थानीय निकायों अर्थात एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने [एमसी मेहता बनाम भारत संघ की डब्ल्यूपी(सी) 4677/1985 के मामले में] निगरानी समिति को उन परिसरों की सील हटाने का अधिकार दिया है जिन्हें उस निगरानी समिति के निर्देशों पर सील किया गया था। साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निगरानी समिति के आदेशों, निर्णयों और सिफारिशों को चुनौती की सुनवाई के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त की है।

****